


न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी/छतरपुर/भूराजस्व/2018

निगरानी-3629/2018/छतरपुर/भूराजस्व



- (1) शिमू पुत्र श्री मोहन यादव
- (2) बलदेव पुत्र श्री हल्काई
- (3) बुद्धसिंह पुत्र श्री हल्काई
- (4) परमलाल पुत्र श्री मोहन
- (5) बलदेव पुत्र श्री मोहन निवासी ग्राम रजपुरा तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर जिला ग्वालियर म0प्र0

.....प्रार्थीगण

बनाम

- (1) विन्द्रावत तनय स्व0श्री हल्कू यादव
- (2) फूलसिंह तनय हल्कू यादव
- (3) जगतराज तनय हल्कू यादव
- (4) मनप्यारे तनय हल्कू यादव
- (5) धनीराम तनय बालचन्द्र यादव
- (6) भगवानदास तनय बालचन्द्र यादव
- (7) हल्के तनय बालचन्द्र यादव
- (8) धनप्रसाद तनय बालचन्द्र यादव
- (9) मुलायम तनय बालचन्द्र यादव
- (10) लच्छीबाई पत्नी स्व0श्री बालचन्द्र यादव निवासीगण ग्राम रजपुरा तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर म0प्र0
- (11) गोकुल तनय मोहन यादव निवासीगण रजपुरा तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर म0प्र0
- (12) ललितिया पुत्री खुन्दू यादव निवासी ग्राम बिलगाय तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0
- (13) मानबाई पुत्री खुन्दू यादव निवासी ग्राम कमोदपुरा तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर म0प्र0
- (14) जानकी तन हल्काई यादव समस्त निवासीगण रजपुरा तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर म0प्र0

.....प्रतिप्रार्थीगण

विवेक शर्मा
13.6.18 18-6-18

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
13.6.18

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर



म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बडामलहार जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 202/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांकी 04.06.2018 के निर्णय के विरुद्ध निगरानी

Handwritten signature or mark.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी / 3629 / 2018 / छतरपुर / भू0रा0

शिमभू आदि विरुद्ध विन्द्रावत आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री जगदीश श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 202/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 4-6-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p> (आर0क0 जैन) सदस्य 21/02/19</p>	